संख्या-5352/15-7-93-15(116)/1992

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र, 2 सामुदायिक केन्द्र
प्रीत विहार नई दिल्ली ।

शिक्षा (7) अनुभाग

लखनऊ: दिनांक: 13 जनवरी, 1994

विषय:- परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मन्दिर रमणरेती वृन्दावन मथुरा सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मन्दिर रमणरेती, वृन्दावन मथुरा को सी0बी0एस0ई0 नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है :-

1- विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।

2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा ।

3- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचितजाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।

4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/बेसिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कौंसिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टीफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

5- संस्था शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।

6- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेंगी और उन्हें सहायता प्राप्त

ATTESTED

PRINCIPAL
P. D. Dhauka Saraswati Vidya Mandir
Senior Secondary School (Residential)
VRINDAVAN

(S... ENDRA GAUTAM)
Manager
P. D. Dhauka Saraswati Vidya Mandir
Senior Secondary School (Residential)
VRINDAVAN (MATHURA)

7- राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायें, संस्था उनका पालन करेगी ।

8- विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र/पंजिकाओं में रखा जायेगा ।

9- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिवर्धन नहीं किया जायेगा ।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

/

।अशोक गांगुली।
उप सचिव ।

पृ०सं० 5352।।।/15-7-1994 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
2- मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, आगरा मण्डल आगरा ।
3- जिला विद्यालय निरीक्षक, मथुरा ।
4- निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय उत्तर प्रदेश लखनऊ ।
5- प्रबन्धक, परमेश्वरी देवी धानुका सरस्वती विद्या मन्दिर रमणरेती वृन्दावन मथुरा ।

आज्ञा से,

(signature)

।अशोक गांगुली।
उप सचिव ।

(signature) Gautam
(SHIVENDRA GAUTAM)
Manager
P.D. Dhanuka Saraswati Vidya Mandir
Senior Secondary School (Residential)
VRINDAVAN (MATHURA)

ATTESTED

(signature)
PRINCIPAL
P. D. Dhauka Saraswati Vidya Mandir
Senior Secondary School (Residential)
VRINDAVAN